



स्विकारणी 1180-PBR-15
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-खरगोन

अनीस अहमद पुत्र अ0 समद, निवासी
- 279 रसुलपुर तहसील स्वार
जिला-रामपुर (उ.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

- 1- शोराबी वेवा शफी खॉं, मुसलमान
 - 2- जरदार खॉं पुत्र शफी खॉं मुसलमान
 - 3- सादिक खॉं पुत्र शफी खॉं मुसलमान
 - 4- जादिक खॉं पुत्र शफी खॉं मुसलमान
- निवासीगण - ग्राम बेडिया तहसील
सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील सनावद, जिला-खरगोन द्वारा प्रकरण
क्रमांक 32/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

[Signature]

दि. 23.5.15 को की गई सुनवाई
का क्रम जारी रखते हैं
23/5/15

[Signature]
23/5/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-1180-PBR/15 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>11.8.2015</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री के.के. वैकुण्ठ अभिभाषक एवं आपत्तिकारि की ओर से श्री सुनील जॉर्जर अभिभाषक उपस्थित। वक्तव्य सुने गये। आवेदक की ओर से तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध पैगदारी प्रस्तुत की गई है। इसी आदेश के विरुद्ध अनुषंगीय आवेदकी के समस्त अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः यह पैगदारी विरुद्ध होने से निरस्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">11/8/15</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">श्री सुनील जॉर्जर</p> <p style="text-align: center;">15</p>